चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 20.11.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 808/2018 धारा 376,323 भादवि0 व 5/6 पॉस्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त सूरज पछइया पुत्र मुन्नी पछइया निवासी बिसण्डा जनपद बांदा हाल पता भरतकूप जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 20.12.2018 को एक वादी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री खेत गयी थी वही अभियुक्त सूरज पछइया उपरोक्त बैल चरा रहा था। अभियुक्त द्वारा मेरी नाबालिक पुत्री के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 808/2018 धारा 376,323 भादवि0 व 5/6 पॉस्को एक्ट बनाम सूरज उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री तपेश मिश्रा द्वारा की गयी। अभियुक्त को दिनाँक 21.12.2018 को गिरफ्तार कर दिनाँक 08.01.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(4).

आज दिनाँक 20.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चौकी शिवरामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवासीय परिसर का भ्रमण कर प्रभारी शिवरामपुर को परिसर की साफ-सफाई एवं सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 20.11.2024 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2019 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र अरविंद्र कुमार निवासी कर्मा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम चित्रकूट सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 20.11.2024 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2010 धारा 323,504,506

भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सुंदरलाल पुत्र रामदेव 2.इंद्रदत्त उर्फ लल्लू पुत्र सुंदरलाल निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 20.11.2024 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विक्कन उर्फ चुनकोना पुत्र शंकुआ निवासी ग्राम औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 20.11.2024 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त चुनकोना पुत्र सखुआ निवासी ग्राम औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।